प्रतिलिपि

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक एफ 07–02/2006/10–3 भोपाल, दिनॉक 13-11-2019 ~~अक्टूबर, 2019~~

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
म.प्र. भोपाल।

विषयः– प्रदेश की संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019.

------000------

प्रदेश की संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 का अनुमोदन मंत्रि–परिषद् द्वारा किया गया है। अतः तदानुसार संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 जारी की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। उक्त संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 दिनांक 10.03.2019 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 07–02/2006/10–3 भोपाल, दिनॉक 13/11/2019 ~~अक्टूबर, 2019~~

प्रतिलिपि :–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर संशोधित निस्तार नीति वर्ष, 2019 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि कृपया संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 सर्वसंबंधितों को भेजना सुनिश्चित करें।

पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

निस्तार
15/11/19
OS
Circulate and Website पर upload करने हेतु प्रेषित करें, तथा booklet छपवाएं।
15/11/19

10646
15/11/19

संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2019

क्रमांक एफ 7–22/93/10–3

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :– प्रदेश की संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019.

---00---

वर्तमान में प्रचलित निस्तार नीति के समस्त प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 जारी की जाती है:–

1) (क) निस्तार के अंतर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिये पूर्वानुसार रहेगी, जो कि वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत स्थित है। पांच कि.मी. की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर जायेगा। ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा।

(ख) नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के 5 कि.मी. की परिधि में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेगें।

(ग) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(घ) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत रहेगी।

2) पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिये गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

3) जिन पांच किलोमीटर तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है, वह ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपो र वनोपज का प्रदाय किया जायेगा। इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों व समूल के लिये एकजाई रूप से की जायेगी।

निरन्तर .....

4) वनों से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मांग की जाती है तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित शुल्क पर जिसमें पूर्ण रायल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जावेगी तथा इसके लिये वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा। इसके लिये ग्राम पंचायतों के पास "रिवाल्विंग कोष" हेतु वानिकी प्रोजेक्ट में प्रावधान करने के लिये "प्रोजेक्ट निगोशियेशन्स" के समय प्रयास किये जाये।

5) उपरोक्तानुसार वनोपज प्रदाय करने के पूर्व वन मंडल अधिकारी ग्राम पंचायतों की वनोपज की श्रेणीवार दरों की जानकारी देगा। ग्रामीणों की वनोपज वितरण एवं डिपो प्रबंध का दायित्व ग्राम पंचायत का रहेगा। सामग्री वितरण करने हेतु ग्राम पंचायत अतिरिक्त वितरण व्यय एवं युक्तियुक्त लाभ को ध्यान में रखते हुए दर निर्धारित कर सकेगी।

6) वन विभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय 1 जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जायेगा।

7) प्रति बसोड़ परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 बांस तक प्रदाय किये जायेंगे। बसोड परिवार को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर देय रायल्टी पूर्णतः माफ होगी। कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा।

8) बसोड़ जाति के समान बसोर, बुरूड़, बॅासोर, बॅासोड़ी, बॅासफौर, बसार एवं मान जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वांले बांस पर रायल्टी पूर्णतः माफ होगी। कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा।

9) बसोड़ समुदाय की तरह बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को भी उपलब्धता के आधार पर 150 बांस प्रति वर्ष प्रदाय किया जायेगा। कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा।

10) पान बरेजा परिवारों को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 500 बांस प्रति परिवार प्रतिवर्ष प्रदाय किया जायेगा। कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा।

11) नई निस्तार नीति दिनांक 10/03/2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी।

(एच.एस.मोहन्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग